

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29-10-24

पत्रावली पेश हुई।
वादीनी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर
न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद
अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क 188, 207, व 209
को जरिये नोट प्रेस इसी स्तर पर खारीज
करने का निवेदन किया। लिहाजा वादीनी
अधिवक्ता के नोट प्रेस करने पर राजस्व
वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है।
पत्रावली कैसल सुमार होकर डाकिले दफ्तर् हो।

Not press

(Signature)
डॉ. म. म. म. म.

सहायक कलेक्टर
(SDO) धोरीमन्म

